

लोक सेवा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत नया राशन कार्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र 'क'
(राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (धारा-9) तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण)
आदेश 2015 (कंडिका 3 का उपकंडिका 13, 14 तथा कंडिका 4 उपकंडिका 7, 8, 9) द्रष्टव्य)

1. आवेदक का नाम
2. आधार/ EID no
3. मोबाईल नं०-
4. आवेदक के पति/पिता का नाम
5. पूर्ण आवासीय पता

पारिवारिक फोटो

6. बैंक का IFSC Code
7. बैंक खाता नं०
8. बैंक का नाम
9. राशन कार्ड के लिए परिवार के अन्य सदस्यों का विवरण

क्र०	नाम	पति/पिता का नाम	लिंग	उम्र	वैवाहिक स्थिति	संबंध
1	2	3	4	5	6	7

आधार/ EID no	मोबाईल नं०	व्यवसाय /सरकारी सेवक	आमदनी का स्रोत	मासिक आय
8	9	10	11	12

10. ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक निम्नलिखित पर हों/नहीं, पर टिक लगावे :-

- (i) मोटर चालित तिपाहिया/चार पहिया वाहन है, हों ☐ नहीं ☐
- (ii) मशीन चालित तीन/चार पहियों वाले कृषि उपकरण है, हों ☐ नहीं ☐
- (iii) सरकार में पंजीकृत गैर-कृषि उद्योग वाले परिवार वाली गृहस्थी है, हों ☐ नहीं ☐
- (iv) परिवार के किसी सदस्य की मासिक आय 10,000/- रु० से अधिक है, हों ☐ नहीं ☐
- (v) आयकर देते हैं, हों ☐ नहीं ☐
- (vi) व्यावसायिक कर का भुगतान करते हैं, हों ☐ नहीं ☐
- (vii) जिस मकान में रहते हैं, उस मकान में सभी कमरों में पक्की दीवारों और छत के साथ तीन अथवा अधिक कमरा है, हों ☐ नहीं ☐

- (viii) परिवार में कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि है, हाँ ☐ नहीं ☐
- (ix) दो अथवा उससे अधिक फसली मौसम के लिए 5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि वाली गृहस्थी है, हाँ ☐ नहीं ☐
- (x) कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ कम से कम 7.5 एकड़ अथवा इससे अधिक भूमि वाली गृहस्थी है, हाँ ☐ नहीं ☐
- (xi) आवेदक अथवा आवेदक के परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में है, हाँ ☐ नहीं ☐
- अगर है तो उसका विवरण -
- (क) किस सेवा में है -
- (ख) कहाँ पदस्थापित है -
- (ग) कितना मासिक आमदनी है -
11. शहरी क्षेत्र के आवेदक निम्नलिखित पर आवश्यकतानुसार हाँ/नहीं, पर टिक लगावे :-
- (i) आयकर अदा करते हैं, हाँ ☐ नहीं ☐
- (ii) आवेदक अथवा आवेदक के परिवार का कोई सदस्य वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 एवं वर्ग 4 श्रेणी के सरकारी सेवा (अनु0जाति/अनु0 जनजाति के Group 'D' के कर्मी को छोड़कर) में है, हाँ ☐ नहीं ☐
- अगर है तो उसका विवरण -
- (क) किस सेवा में है -
- (ख) कहाँ पदस्थापित है -
- (ग) कितना मासिक आमदनी है -
- (iii) व्यवसायिक कर अदा करते हैं, हाँ ☐ नहीं ☐
- (iv) तीन कमरे या उससे अधिक (पक्का) कंक्रीट छतयुक्त मकान वाली गृहस्थी जो स्वयं की स्वामित्व में है, हाँ ☐ नहीं ☐
- (v) परिवार के किसी सदस्य का मासिक आय 20,000/- रु0 से अधिक है, हाँ ☐ नहीं ☐
- (vi) दो पहिया वाहन, रेफ्रीजरेटर तथा वाशिंग मशीन तीनों उपकरण हैं, हाँ ☐ नहीं ☐
- (vii) गृहस्थी में चार पहिया वाहन है, हाँ ☐ नहीं ☐
- (viii) गृहस्थी में वाशिंग मशीन है, हाँ ☐ नहीं ☐

दिनांक
स्थान

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
नाम

घोषणा

महोदया/महोदय

मैं परिवार सहित यह घोषणा करता हूँ की आवेदन पत्र में लिखी गई सभी प्रविष्टियाँ सही हैं। मैं इसके पूर्व राशन कार्ड के लिए कोई आवेदन पत्र नहीं दिया हूँ। अगर आवेदन पत्र में लिखी गई कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो मैं दंडात्मक/कानूनी कार्रवाई का भागी होऊँगा।

दिनांक
स्थान

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
नाम

पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी के अन्तर्गत :-

आवेदन पत्र - स्वीकृत ☐ अस्वीकृत ☐

अस्वीकृत का कारण -

जांच करने वाले पदाधिकारी
का नाम एवं हस्ताक्षर

प्रखंड विकास पदाधिकारी
का नाम एवं हस्ताक्षर

सामान्य निर्देश

1. आवेदन पत्र केवल एक ही प्रति आवेदक द्वारा भरी जायेगी ।
2. किसी व्यक्ति, संगठन या राजनीतिक पार्टी द्वारा तादाद में प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे ।
3. अपूर्ण आवेदन पत्र को रद्द कर दिया जायेगा ।
4. आवेदक द्वारा बिना सही हस्ताक्षर किये हुए या बिना अंगूठे के निशान के आवेदन पत्र को रद्द कर दिया जायेगा ।
5. हस्तलिखित, टाईप किये गये, फोटो कॉपी किये गये या एन.आई.सी. की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रपत्र भी स्वीकार किये जायेंगे, बशर्ते कि इस प्रकार के प्रपत्र निर्धारित उपरोक्त प्रपत्र के समरूप होने चाहिए ।
6. सभी आवेदन पत्र RTPS के माध्यम से लिया जायेगा ।
7. सरकारी सेवा से तात्पर्य है केन्द्र एवं राज्य सरकार, लोक उपक्रम, स्थानीय निकाय एवं स्वशासी में नियमित वेतनमान में कार्यरत कर्मों की सेवा ।
8. RTPS के तहत पात्र गृहस्थी द्वारा राशन कार्ड का आवेदन पत्र संबंधित क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जायेगा ।
9. अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा RTPS के तहत राशन कार्ड हेतु प्राप्त आवेदन पत्र को एक सप्ताह के अन्दर संबंधित क्षेत्र के प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेजा जायेगा । प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र को जांच कराकर 15 दिनों के अन्दर अनुमंडल पदाधिकारी को वापस किया जायेगा ।
10. अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आवेदन पत्र को स्वीकृत किया जाता है तो राशन कार्ड निर्गत किया जायेगा ।

2. उपर्युक्त अधिसूचना के परिशिष्ट-1 के बाद निम्नलिखित परिशिष्ट-11 जोड़ा जाएगा:-

“परिशिष्ट-11

**सेवा प्राप्त करने हेतु आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले आवश्यक कागजात
(चेक लिस्ट)**

सेवा का नाम	चेक लिस्ट
1. नये राशन कार्ड का निर्गमन	1. आवेदन पत्र विभागीय प्रपत्र 'क' में । 2. आधार कार्ड का छायाप्रति । 3. बैंक खाता के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति, जिसपर खाताधारी का नाम, खाता संख्या, बैंक का नाम, बैंक का IFSC Code रहता है । 4. आवासीय प्रमाण-पत्र 5. विभागीय आवेदन पत्र प्रपत्र 'क' के क्रमांक 10 अथवा 11 जो लागू हो. के संबंध में शपथ-पत्र । 6. सम्पूर्ण परिवार का तीन फोटोग्राफ ।
2. राशन कार्ड में संशोधन (नाम में संशोधन, नाम जोड़ना, नाम हटाना)	1. आवेदन पत्र विभागीय प्रपत्र 'ख' में । 2. व्यक्ति, जिसका नाम जोड़ा जाना है, के आधार कार्ड की छाया प्रति । 3. विभागीय आवेदन प्रपत्र 'ख' के क्रमांक 8 एवं 9 के संबंध में लागू कारण के प्रमाण-पत्र की छायाप्रति, यथा :- i. निवास में परिवर्तन हेतु आवासीय प्रमाण-पत्र ii. जन्म/मृत्यु का प्रमाण पत्र iii. राशन कार्ड में वर्णित अशुद्धियाँ जिनको शुद्ध किया जाना है, के लिए सरकारी प्रमाण-पत्र (सरकारी विद्यालय का प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, वोटर आई0कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पैन कार्ड आदि)।
3. राशन कार्ड का प्रत्यर्पण (Surrender)/रद्दीकरण	1. आवेदन पत्र विभागीय प्रपत्र 'ख' में । 2. विद्यमान राशन कार्ड का प्रत्यर्पण/रद्द करने के लिए आवेदन पत्र के क्रमांक 10 के संबंध में लागू कारण की छायाप्रति ।

सामान्य निर्देश

1. आवेदन-पत्र केवल एक ही प्रति आवेदक द्वारा भरी जायेगी ।
2. किसी व्यक्ति, संगठन या राजनीतिक पार्टी द्वारा तादाद में प्रस्तुत किये गये आवेदन-पत्रों को स्वीकार नहीं किये जाएंगे ।
3. अपूर्ण आवेदन पत्र को रद्द कर दिया जायेगा ।
4. अहस्ताक्षरित या बिना अंगूठे के निशान के आवेदन-पत्र को रद्द कर दिया जायेगा ।
5. हस्तलिखित, टाईप किये गये, फोटो कॉपी किये गये या एन.आई.सी. की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रपत्र भी स्वीकार किये जायेंगे, बशर्ते कि इस प्रकार के प्रपत्र निर्धारित प्रपत्र के समरूप होने चाहिए ।
6. सभी आवेदन पत्र RTPS के माध्यम से लिये जायेंगे ।
7. सरकारी सेवा से तात्पर्य है केन्द्र एवं राज्य सरकार, लोक उपक्रम, स्थानीय निकाय एवं स्वशासी में नियमित वेतनमान में कार्यरत कर्मों की सेवा ।
8. RTPS के तहत पात्र गृहस्थी द्वारा राशन कार्ड का आवेदन-पत्र संबंधित क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जायेगा ।
9. अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा RTPS के तहत राशन कार्ड हेतु प्राप्त आवेदन-पत्र को एक सप्ताह के अन्दर संबंधित क्षेत्र के प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेजा जायेगा । प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र को जांच कराकर 15 दिनों के अन्दर अनुमंडल पदाधिकारी को वापस किया जायेगा ।
10. अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आवेदन-पत्र को स्वीकृत किया जाता है तो राशन कार्ड निर्गत किया जायेगा ।